सीमाशुल्क अधिकारियों ने ठठेरी बाजार, वाराणसी स्थित जौहरियों की एक फर्म से सम्बन्धित दो व्यक्तियों को वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर पकड़ा और उनके पास से विदेशी सिक्के का 90 तोला सोना बरामद किया । दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । मामले का विभाग द्वारा न्याय निर्णय किया जा रहा है ।

Flood Situation in Assam

2305. **Shrimati Jyotsna Chanda:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some members of the Planning Commission have recently visited Assam to study the flood situation in that State;

(b) whether they have submitted any report in this regard; and

(c) if so, the recommendations made by them?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Inclusion of Vala Community in List of Scheduled Castes

2306. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Akhila Malabar Vala Samudaya Sangham has requested Government to include the Vala Community in the list of Scheduled Castes;

(b) whether it is a fact the representatives of the above community were not called by the Lokur Commission for giving evidence; and

(c) if so, whether their claim is being considered by the Commission?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) No. However a request was received from the Akhila Malabar Vala Samudaya Sangham to include the Velan community in Malabar also in the list of Scheduled Castes.

(b) The representatives of the Velan Community did not appear before the Lokur Committee.

(c) The Lokur Committee submitted their report to Government on 25th August, 1965 and the Committee has since been wound up.

धर्म परिवर्तन करने वाले अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लोगों को सुविधायें

2307. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बलजीत सिंह :
श्री रमापति राव :
श्री छ० म० केदरिया :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान अथवा ईसाई बन जाता है तो उसे उन सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है जो उसे अनुसूचित जातीय व्यक्ति होने की हैसियत से प्राप्त थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब अनुसूचित आदिम जातीय व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं तो उन्हें धर्म-परिवर्तन के बाद भी वही सुविधाएं मिलती रहती हैं जो उन्हें पहले प्राप्त थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को ये विशेष सुविधाएं देना बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?